



बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग



श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार



डॉ. संतोष कुमार सुमन
माननीय मंत्री
अनु.जाति एवं अनु.जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन

उपलब्धि 2020-21

कार्यक्रम 2021-22



नवनिर्मित राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, महकार, गया



राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, रामपुर, फारबिसगंज, अररिया



बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2020-21 की उपलब्धि

एवं

वर्ष 2021-22 के कार्यक्रम

विषय-सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ
1.	परिचय	3
2.	बजट 2021-22	4-8
3.	संचालित योजनाएँ	8-9
4.	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	9-10
5.	विद्यालय छात्रवृत्ति	10-12
6.	मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना	12-13
7.	परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	13
8.	आवासीय विद्यालय	13-15
9.	छात्रावास	16-17
10.	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	17-18
11.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	18
12.	मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	18-19
13.	मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति छात्रावास अनुदान योजना	19
14.	खाद्यान्न आपूर्ति योजना	19-20
15.	सेमिनार	20
16.	अनु० जाति उप योजना एवं अनु० जनजाति उप योजना	20
17.	वैधिक सहायता	21
18.	अनु० जाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता	21
19.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955	21
20.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	21-22
21.	अनुसूचित जनजाति के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता	23
22.	संविधान की धारा 275 1	23
23.	वनबन्धु कल्याण योजना	23
24.	थरूहट क्षेत्र विकास	23-24
25.	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास	24
26.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	24
27.	अम्बेदकर फाउण्डेशन	24
28.	राज्य अनुसूचित जाति आयोग	24
29.	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	25-26
30.	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि०	26
31.	बिहार महादलित विकास मिशन	27-28
परिशिष्ट		
I	अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या	28
II	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति की सूची	28-33
III	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 2015 के 12(4) के अनुसार राहत अनुदान	33-34

परिचय

1ली अप्रील, 2007 से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती कल्याण विभाग का पुनर्गठन कर "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के रूप में स्वतंत्र विभाग का गठन किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उत्थान के लिए विभाग के माध्यम से कई प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु लगातार बजट प्रावधान में वृद्धि की जा रही है। राज्य योजना मद से वर्ष 2005-06 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल ₹4048.36 लाख का उद्व्यय था, जबकि वर्ष 2021-22 में उद्व्यय कुल ₹1750.55 करोड़ (सत्रह अरब पचास करोड़ पचपन लाख रु०) प्रावधानित है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के बहुमुखी विकास हेतु निरंतर नई योजनाओं को समावेशित किया जा रहा है।

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

1. बजट 2021-22

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं०	मद	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	प्रस्तावित बजट 2021-22				
				राज्य स्कीम	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कुल
1	अनु०जाति एवं अनु०जनजाति	44	2225	116220.00	20315.00	10966.06	31833.33	179334.39
2	सचिवालय सेवाएँ	44	2251	0.00	0	0	543.39	543.39
3	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	44	4425	400.00	0	0	0	400.00
4	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	44	2070	50.00	0	0	0	50.00
5	पूँजीगत परिव्यय भवन निर्माण	03	4059	37645.00	425.00	0	0	38070.00
कुल				154315.00	20740.00	10966.06	32376.72	218397.78

कुल बजट (राशि ₹ लाख में)

माँग संख्या - 44	180327.78
माँग संख्या - 03	38070.00
कुल :-	218317.78

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
i. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

मुख्य शीर्ष-2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों
 का कल्याण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट राशि

(राशि ₹ में)

क्र०	मद का नाम	बजट 2021-22
1	निदेशन एवं प्रशासन	722976000
2	राज्य अनु० जाति आयोग	22936000
3	अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत)	1000000
4	मुसहर छात्रवृत्ति(197 ब्लॉक पंचायत)	1000000
5	मुसहर छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत)	5000000
6	अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति (277 शिक्षा)	1000000
7	मुसहर छात्रवृत्ति (277- शिक्षा)	9000000
8	लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास संधारण	101021000
9	आवासीय विद्यालय संधारण	1708957000
10	पुस्तक अधिकोष की स्थापना	1000000
11	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955	10000
12	अनु० जातियों पर अत्याचार से राहत	100000000
13	परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	30000000
14	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	29089000
15	वैधिक सहायता	100000
16	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड	64435000
अनुसूचित जाति -योग		2797524000
1	राज्य अनु० जनजाति आयोग	5114000
2	अनु० जनजाति पर अत्याचार से राहत	300000
3	पुस्तक अधिकोष की स्थापना	600000
4	परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	3000000
5	छात्रावास संधारण	14898000
6	आवासीय विद्यालय संधारण	343664000
7	आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्रों का संधारण	17529000
8	खड़िया एवं अन्य आदिम जातियों का कल्याण	704000
अनुसूचित जनजाति -योग		385809000
कुल योग		3183333000
1	सचिवालय-2251, मांग सं०-44	54339000
कुल योग		3237672000

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
ii. राज्य स्कीम

शीर्ष-2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों
का कल्याण वर्ष 2021-22 के लिए बजट

(राशि ₹ में)

क्रमांक	मद का नाम	बजट 2021-22
A.	अनुसूचित जाति -	
1	प्रदर्शनी, सेमिनार एवं पोस्टर	10000000
2	वि०के०स० के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	5000000
3	विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत)	1135300000
4	विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा)	1265200000
5	विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत)	1975800000
6	मुसहर छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत)	152000000
7	मुसहर छात्रवृत्ति (277 शिक्षा)	13500000
8	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति(277 शिक्षा)	500000000
9	मेरिट ग्रांट योजना वर्ग 10 के लिए (277 शिक्षा)	1000000000
10	मेरिट ग्रांट योजना वर्ग 10+2 के लिए (277 शिक्षा)	500000000
11	मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	80000000
12	छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास भवन निर्माण (4059)	2000000000
13	छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण 50:50 (4059)	14500000
14	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति अत्याचार निवारण (50:50)	150000000
15	अजाविनि - हिस्सा पूंजी	40000000
16	महादलित विकास	3170000000
17	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	500000
18	डा० अम्बेदकर फॉउंडेशन	5000000
19	मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति छात्रा० अनु० योजना	60000000
20	छात्रवृत्ति मॉनिटरिंग	10000000
21	छात्रावास में सामग्री एवं पूर्तियाँ	150000000
	योग - अनुसूचित जाति	12236800000
B.	अनुसूचित जनजाति -	
1	विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत)	80600000
2	विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत)	247300000
3	विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा)	72100000
4	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (277 शिक्षा)	40000000
5	मेरिट ग्रांट योजना वर्ग 10 के लिए (277 शिक्षा)	250000000

6	मेरिट ग्रांट योजना वर्ग 10+2 के लिए (277 शिक्षा)	150000000
7	मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	5000000
8	आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण (4059)	1750000000
9	थरूहट विकास	356200000
10	मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति छात्रा० अनु० योजना	3500000
11	अनु० जनजाति विकास हेतु स्कीम	100000000
12	आवासीय विद्यालय की स्थापना	30000000
13	छात्रवृत्ति मॉनिटरिंग	10000000
14	छात्रावास में सामग्री एवं पूर्तियाँ	100000000
योग – अनुसूचित जनजाति		3194700000
कुल योग		15431500000

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

iii. केन्द्र प्रा० स्कीम

शीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
वर्ष 2021-22 के लिए बजट (राशि ₹ में)

क्रमांक	मद का नाम	बजट 2021-22
A. अनुसूचित जाति –		
1	छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण (50:50) (4059)	42500000
2	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति अत्याचार निवारण (50:50)	150000000
3	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	600000000
4	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (वर्ग 9 एवं 10 के लिए)	400000000
5	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	400000000
योग – अनुसूचित जाति		1592500000
B. अनुसूचित जनजाति –		
1	धारा 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से सहायता	150000000
2	विशेष केन्द्रीय सहायता	150000000
3	विशेष रूप से जनजातीय समूहों का विकास	40000000
4	अनु० जनजाति के शिक्षा के लिए अम्ब्रेला स्कीम	
	(a) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	60000000
	(b) प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (वर्ग 9 एवं 10 के लिए)	80500000
	(c) मेरिट उन्नयन	1000000
योग – अनुसूचित जनजाति		481500000
कुल योग		2074000000

iv. केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम

वर्ष 2021-22 के लिए बजट

क्रमांक	मद का नाम	बजट 2021-22
1	अनु० जाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता (अनु० जाति)	1095606000
2	वन बन्धु कल्याण योजना (अनु० जनजाति)	1000000
कुल योग		1096606000
कुल योग :- (i + ii + iii + iv)		21839778000

विभाग के अन्तर्गत गठित निदेशालय, निगम, मिशन, अभिकरण एवं आयोग:-

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय
2. बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड
3. बिहार महादलित विकास मिशन
4. समेकित थरुहट विकास अभिकरण
5. राज्य अनुसूचित जाति आयोग
6. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

योजनाओं का कार्यान्वयन :- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत गठित निदेशालय, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, बिहार महादलित विकास मिशन एवं समेकित थरुहट विकास अभिकरण के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है।

3. संचालित योजनाएँ :- विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास एवं कल्याणार्थ योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। वर्तमान में निम्नलिखित योजनाएँ संचालित की जा रही हैं :-

क्र.सं.	अनु० जाति की योजनाएँ	क्र.सं.	अनु० जनजाति की योजनाएँ
1	आवासीय विद्यालय	1	आवासीय विद्यालय
2	छात्रवृत्ति	2	छात्रवृत्ति
3	अत्याचार राहत	3	अत्याचार राहत
4	छात्रावास योजना	4	छात्रावास योजना
5	वैधिक सहायता	5	अनु० जनजाति उप योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना
6	मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना	6	मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना
7	विशेष केन्द्रीय सहायता योजना	7	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र
8	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	8	थरुहट क्षेत्र विकास योजना
9	परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना	9	परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना

10	महादलित विकास योजना	10	शोध कार्य
11	बिहार राज्य अनु० जाति सहकारिता विकास निगम लि०	11	वनबन्धु कल्याण योजना
12	अनु० जाति उप योजना (संबंधित विभागों के माध्यम से)	12	संविधान की धारा-275(1) के तहत आधारभूत संरचना विकास योजना
13	मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	13	मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
14	मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति छात्रावास अनुदान योजना	14	मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति छात्रावास अनुदान योजना
15	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति की योजना	15	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति की योजना
16	अनु० जाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत अनुदान योजना	16	अनु० जनजाति उप योजना (संबंधित विभागों के माध्यम से)
17	अम्बेदकर फाउण्डेशन	17	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास हेतु योजना
18	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना		

योजनाओं का विस्तृत विवरण एवं उपलब्धि

4. प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :-

प्रवेशिकोत्तर में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप छात्रवृत्ति के तहत अनुरक्षण भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना से संबंधित दिशा-निर्देश भारत सरकार की वेबसाईट www.socialjustice.nic.in तथा राज्य सरकार की वेबसाईट www.scstwelfare.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिये अर्हता :-

- बिहार राज्य के अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के सदस्य हों।
- अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रु० तक होनी चाहिए।
- प्रवेशिकोत्तर कक्षाओं में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम एवं मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत हों।

छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय है:-

- अनुरक्षण भत्ता
- अनिवार्य शुल्क
- अन्य भत्ता

- (i) **अनुरक्षण भत्ता:**— प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों (चार गुणों में वर्गीकृत) में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के मासिक अनुरक्षण भत्ता की दर नामांकन की तिथि से निम्नवत् निर्धारित है :-

(राशि ₹ में प्रति माह)

क्रमांक	गुण	दिवाकालीन	छात्रावासी
1	I	550/-	1200/-
2	II	530/-	820/-
3	III	300/-	570/-
4	IV	230/-	380/-

- (ii) **अनिवार्य शुल्क :-**

अनिवार्य शुल्क के अन्तर्गत निम्नांकित सम्मिलित हैं :-

- | | | | |
|------------|--------------|------------|------------------|
| 1. नामांकन | 2. निबंधन | 3. शिक्षण | 4. खेल-कूद |
| 5. यूनियन | 6. पुस्तकालय | 7. पत्रिका | 8. चिकित्सा जाँच |

उपरोक्त के अलावा अन्य अनिवार्य शुल्क जिसका भुगतान छात्र/छात्राओं द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय/बोर्ड को किया जाता है, देय होता है। संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओं को लौटाई जाने वाली शुल्क यथा कॉशन मनी, सेक्युरिटी डिपोजिट की राशि सम्मिलित नहीं होती है, अतएव इसका भुगतान नहीं किया जाता है।

- (iii) **अन्य भत्ता :-**

उपरोक्त के अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजना के तहत निर्धारित अन्य भत्ता देने का प्रावधान है।

वर्ष 2020-21 में अनु० जाति के लिए ₹6000.00 लाख एवं अनु० जनजाति के लिए ₹395.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

वर्ष 2021-22 में अनु० जाति के लिए ₹11000.00 लाख एवं अनु० जनजाति के लिए ₹1000.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

5. विद्यालय छात्रवृत्ति :

राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग-1 से 10 तक में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

विद्यालय छात्रवृत्ति की दर निम्नवत् है :-

(राशि ₹ में)

क्रमांक	वर्ग	दर प्रति माह
1.	1-4	50/-
2.	5-6	100/-
3.	7-10	150/-
4.	छात्रावासी वर्ग 1 से 10	250/-

वर्ष 2020-21 में योजना मद से अनु० जाति के लिए ₹54411.99 लाख एवं अनु० जनजाति के लिए ₹2980.00 लाख की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्ष 2021-22 में योजना मद से अनु० जाति के लिए ₹45418.00 लाख एवं अनु० जनजाति के लिए ₹4000.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ग IX एवं X के छात्र/छात्राओं के लिये संचालित है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र/छात्राओं के अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रु०) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

छात्रवृत्ति की दर निम्नवत् है :-

(राशि ₹ में)

क्रमांक	वर्ग	दिवाकालीन	छात्रावासी	अवधि
1	IX	225/-	525/-	10 माह
2	X	225/-	525/-	10 माह
3	पुस्तक एवं तदर्थ अनुदान	750/-	1000/-	वार्षिक

उपरोक्त के अलावा विभिन्न प्रकार के निःशक्त छात्र/छात्राओं को मासिक ₹160/- एवं मंद बुद्धि तथा मानसिक विक्षिप्त को मासिक कोचिंग भत्ता ₹240/- दिये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2020-21 में इस योजना मद में अनु० जाति के लिए ₹1625.00 लाख एवं अनु० जनजाति के लिए ₹523.25 लाख की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्ष 2021-22 में इस योजना मद में अनु० जाति के लिए ₹4000.00 लाख एवं अनु० जनजाति के लिए ₹805.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

मुसहर एवं भुईया जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति :

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा मुसहर एवं भुईया जाति के लोगों में शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। इनके बच्चे विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने जाएं, इसके लिये विशेष प्रोत्साहन का भी प्रयास किया गया है, जिसके अन्तर्गत ₹100/- प्रति माह वर्ग 1 से 6 के लिये छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है ताकि वे छात्र/छात्राएं इससे प्रोत्साहित होकर विद्यालय जाएं और बीच में ही वे विद्यालय न छोड़ें।

इसके लिए वर्ष 2020-21 में इस मद में ₹2024.00 लाख योजना में एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में ₹240.00 लाख की राशि की स्वीकृति दी गई है।

इसके लिए वर्ष 2021-22 में इस मद में ₹1655.00 लाख योजना में एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में ₹150.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति :

यह केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत 100 प्रतिशत राशि (दिनांक 1.4.2008 से) का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य शौचालय की सफाई करने वालों, चर्मशोधन करने वालों, चमड़ा उधाड़ने वालों तथा सफाई कार्य से परम्परागत रूप से जुड़े सफाई कर्मचारियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षार्जन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

छात्रवृत्ति की दर निम्नलिखित है :

(राशि ₹ में)

क्रमांक	वर्ग	दर प्रति माह	तदर्थ अनुदान
1.	1-2 दिवाकालीन	110/- 10 माह के लिये	750/- वार्षिक
2.	3-10 दिवाकालीन	110/- 10 माह के लिये	750/- वार्षिक
3.	3-10 छात्रावासी	700/-	1000/- वार्षिक

वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में ₹40.00 लाख की राशि की स्वीकृति दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में ₹20.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

6. मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना :-

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत ₹10000.00 (दस हजार रु०) देने की योजना वर्ष 2008-09 से प्रारंभ की गई है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से दसवीं की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को ₹8000/- की दर से एवं 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्राओं को क्रमशः ₹15000/- एवं ₹10000/- प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2020-21 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं की परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत अनु० जाति के लिए ₹12000.00 लाख एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए ₹400.00 लाख की राशि आवंटित की गई है। उसी प्रकार वर्ष 2020-21 में 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्राओं के लिए अनु० जाति मद में ₹5800.00 लाख एवं अनु० जनजाति मद में ₹326.00 लाख की राशि की स्वीकृति दी गयी है।

2021-22 में मैट्रिक मद में अनु० जाति के छात्र/छात्राओं के लिए ₹10000.00 लाख एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए ₹2500.00 लाख तथा 12वीं मद में अनु० जाति के छात्राओं के लिए ₹5000.00 लाख एवं अनु० जनजाति के छात्राओं के लिए ₹1500.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

7. परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वार्षिक परीक्षा के लिये परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल ₹330.00 लाख की राशि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में आवंटित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल ₹330.00 लाख की राशि का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में बजट प्रावधान है।

8. आवासीय विद्यालय :

(i) अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के परिवारों से आने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास कर उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सबल और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य में 86 आवासीय विद्यालय संचालित है तथा 10 नये आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति दी गयी है। सभी संचालित आवासीय विद्यालयों को 10+2 तक उत्कृष्ट करने हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास के पश्चात् 10+2 तक की कक्षाओं का संचालन किया जायेगा। शैक्षणिक सत्र 2020-21 से राजकीय अम्बेदकर आवासीय +2 उच्च विद्यालय, महकार, गया में पठन-पाठन कार्य किया जा रहा है।

(ii) आवासीय विद्यालयों के उत्क्रमण/निर्माण के उपरान्त वर्तमान स्वीकृत छात्रबल 34240 से बढ़कर 68420 हो जायेगा। इस प्रकार छात्रबल में लगभग 121 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।

(iii) आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जा रहा है। विद्यालयों का निर्माण मॉडल प्राक्कलन के अनुसार कराया जा रहा है। मॉडल प्राक्कलन में विद्यालय भवन, छात्रावास भवन, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए आवास, पुस्तकालय, आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त शौचालय, खेल-कूद के मैदान, बागवानी, CCTV कैमरा आदि सुविधाओं का समावेश है। इसके अतिरिक्त मॉडल प्राक्कलन में पाँच वर्ष के लिए विद्यालय का रख-रखाव एवं फर्निशिंग की भी व्यवस्था की गई है।

- (iv) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹30300.00 लाख बजट प्रावधान है, जिसके आलोक में अबतक कुल ₹14575.09 लाख की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति आवासीय विद्यालय/छात्रावासों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु अनु० जाति मद में ₹20000.00 लाख एवं अनु० जनजाति मद में ₹17500.00 लाख की राशि का बजट प्रस्तावित है।



राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, गायघाट, पटना

- (v) इन आवासीय विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को आवासन की सुविधा दी जा रही है। आवासीय छात्र/छात्राओं के लिए स्वास्थ्यप्रद वातावरण, स्वच्छ भवन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्यकर एवं रुचिकर भोजन तथा दवा आदि की व्यवस्था की जा रही है एवं उसमें उत्तरोत्तर गुणवत्ता वर्धन हेतु विचार प्रयासरत है। आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं की दैनिक आवश्यकता यथा भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि तथा विद्यालय के संधारण हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है। आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV कैमरा एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु RO Water Purifier अधिष्ठापित किए गए हैं। विभागीय पत्रांक-1631 दिनांक-27.08.2020 द्वारा आवासीय विद्यालयों के आवासियों की दैनिक आवश्यकताओं एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के प्रावधानों में दर वृद्धि की स्वीकृति दी गई है तथा देय सामग्रियों के प्रावधान, क्रय प्रक्रिया एवं पद्धति में गुणात्मक सुधार हेतु दिशा-निर्देशों की भी स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में छात्र/छात्राओं को दी जा रही दैनिक आवश्यक सुविधाओं की दर निम्न प्रकार है :

क्रमांक	दैनिक आवश्यकता का मद	दर (राशि ₹ में)	
		वर्ग 1-5	वर्ग 6-12
1	भोजन जलपान सहित	₹2300/- प्रति छात्र प्रति माह	
2	तेल, साबुन, सर्फ, दवा, वस्त्र हेतु	₹7500/- प्रति छात्र प्रति वर्ष	
3	पठन-पाठन सामग्री	₹1710/- प्रति छात्र प्रति वर्ष	₹2150/- प्रति छात्र प्रति वर्ष
4	बेडसीट, चादर, तकिया, दरी	₹1200/- प्रति छात्र प्रति वर्ष	

विभागीय पत्रांक-1631 दिनांक-27.08.2020 के द्वारा सामग्री एवं पूर्तियाँ मद के लिए क्रय प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश के अनुसार तेल, साबुन, सर्फ, दवा, वस्त्र, पठन-पाठन सामग्री, बेडसीट, चादर, तकिया, एवं दरी की राशि DBT के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के खाता में हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया है।

विभागीय पत्रांक-4681 दिनांक-15.07.2016 द्वारा आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए मार्गदर्शिका निर्गत की गई है, जिसके आलोक में विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।

(vi) स्नातक शिक्षक के स्वीकृत बल 518 के विरुद्ध 349 स्नातक शिक्षक कार्यरत हैं, जो स्वीकृत बल का करीब 67 प्रतिशत है तथा मैट्रिक स्तरीय स्वीकृत बल 410 के विरुद्ध 329 मैट्रिक शिक्षक कार्यरत हैं, जो स्वीकृत बल का 80 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त संचालित 96 आवासीय विद्यालयों को 10+2 में उत्कर्मित करते हुए 2290 शैक्षणिक एवं 1682 गैर शैक्षणिक पदों अर्थात् कुल 3972 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। शिक्षक की नियुक्ति हेतु नियमावली गठन की कार्रवाई की जा रही है।



राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, शेखपुरा

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस मद में अनुसूचित जाति के लिए ₹10971.24 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹1745.48 लाख की राशि आवंटित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस मद में अनुसूचित जाति के लिए ₹17089.57 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹3436.64 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

9. छात्रावास :-

- (i) अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को उपस्कर, रसोईया-सह-सेवक की सेवायें, रोशनी, बर्तन इत्यादि सुविधाएं सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रत्येक छात्रावास में एक छात्रावास अधीक्षक भी होते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा मानदेय के रूप में अधीक्षक भत्ता दिया जाता है और जिन पर छात्रावास के संचालन का उत्तरदायित्व रहता है। अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन की सुविधा के लिए छात्रावास योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य में अनु० जाति के लिए 110 एवं अनु० जनजाति के लिए 7 छात्रावास संचालित हैं। विभागीय पत्रांक-4680 दिनांक 15.07.2016 द्वारा छात्रावासों के संचालन के लिए मार्गदर्शिका निर्गत की गई है, जिसके आलोक में छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है।
- (ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनु० जाति के कुल 19 छात्रावासों (200 आसन वाले 1(एक), 100 आसन वाले 15(पंद्रह) एवं 50 आसनवाले 3(तीन) छात्रावास) के पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। इसके लिए कुल ₹104.69 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा कराया जा रहा है।



राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, जहानाबाद



राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, सिधौव, प0 चम्पारण के परिसर में छात्रावास

वित्तीय वर्ष 2020-21 में संधारण मद में अनुसूचित जाति के लिए ₹612.76 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹76.41 लाख की राशि आवंटित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में संधारण मद में अनुसूचित जाति के लिए ₹1010.21 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹148.98 लाख तथा सामग्री आपूर्ति मद में अनुसूचित जाति के लिए ₹1500.00 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹1000.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत बाबू जगजीवन राम छात्रावास निर्माण योजना के तहत अनुसूचित जाति के बालक के लिए राज्यांश एवं केन्द्रांश मद में क्रमशः ₹425.00 लाख एवं ₹145.00 लाख अर्थात् कुल ₹570.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

11. प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र—

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं यथा बैंकिंग, रेलवे इत्यादि में सफल होने के लिये उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु पटना, नानालपुर नया आरा (भोजपुर), सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णियाँ एवं दरभंगा विश्वविद्यालयों के कक्षाखान में एक-एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। इसके अतिरिक्त चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में एक स्टूडेंट गाईडेंस सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें GMAT/CAT परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग दी जाती है। इन केन्द्रों पर लगभग 1680 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में ₹90.10 लाख की राशि आवंटित की गई है।

वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में ₹290.89 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

11. आयुर्वेदिक चिकित्सालय –

इस विभाग के अन्तर्गत अनु० जनजाति के लिए 10 आयुर्वेदिक चिकित्सालय क्रमशः बटिया (जमुई), बरहट (जमुई), रूपावेल (जमुई), दुलमपुर (जमुई), मड़वा (कटिहार), शीतलपुर (कटिहार), मलिनियां (पूर्णियाँ), कुमारीकोठी (पूर्णियाँ), सारोदाग, कैमूर (भभुआ) एवं रैहल (रोहतास) में स्वीकृत हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इन केन्द्रों के संधारण हेतु कुल ₹174.52 लाख की राशि आवंटित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन केन्द्रों के संधारण हेतु कुल ₹175.29 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

12. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना:—

योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वैसे मेधावी छात्र/छात्राओं को अग्रेतर तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग दिया जाना है, जो बिहार लोक सेवा आयोग, पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं।

संकल्प संख्या-1140 दिनांक-10.05.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अग्रेतर तैयारी हेतु एकमुश्त 50,000 /—(पचास हजार रु०) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹1,00,000 /—(एक लाख रु०) का लाभ देने का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2018 में संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले 46 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 474 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2019 में संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले 15 एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 1725 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 208 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2020 में संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले 14 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है।



माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, छात्रावास अनुदान योजना एवं खाद्यान्न आपूर्ति योजना का शुभारंभ वर्ष 2020-21 में योजना मद से अनु० जाति के लिए ₹1000.00 लाख एवं अनु० जनजाति के लिए ₹50.00 लाख की राशि की स्वीकृति दी गई है।

वर्ष 2021-22 में योजना मद से अनु० जाति के लिए ₹800.00 लाख एवं अनु० जनजाति के लिए ₹50.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

13. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना:—

वर्तमान में छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन-पाठन हेतु टेबुल-कुर्सी, खाना बनाने हेतु बर्तन एवं रसोईया इत्यादि की सुविधा दी जाती है। इसी क्रम में छात्र/छात्राओं को दी जा रही सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने एवं समाज के कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान दिया जा रहा है।

संकल्प संख्या-1141 दिनांक-10.05.2018 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/- (एक हजार रु०) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है।

जनवरी, 2021 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत 2367 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2020-21 में योजना मद से अनु० जाति के लिए ₹177.02 लाख एवं अनु० जनजाति के लिए ₹10.40 लाख की राशि आवंटित की गई है।

वर्ष 2021-22 में योजना मद से अनु० जाति के लिए ₹600.00 लाख एवं अनु० जनजाति के लिए ₹35.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

14. अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति का योजना:—

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-1143 दिनांक-10.05.2018 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण

विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह 15 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न (9 किलोग्राम चावल तथा 6 किलोग्राम गेहूँ) की आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।

15. सेमिनार :-

विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन एवं इसमें उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण हेतु विभागीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं अन्य क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ गोष्ठी/सेमिनार का आयोजन किया जाता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के सूचना तंत्र यथा लीफलेट, होर्डिंग के माध्यम से योजनाओं के संबंध में सूचना लामुकों को दी जा रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इन केन्द्रों के संधारण हेतु कुल ₹100.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस कार्य हेतु ₹100.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

16. अनुसूचित जाति उप योजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना:-

- i. **अनुसूचित जाति उप योजना :-** राज्य योजना/केन्द्रीय योजना के प्रत्येक प्रक्षेत्र हेतु जो भी भौतिक लक्ष्य निर्धारित है, उसका एक अंश निर्धारित अंश से अनुसूचित जाति के सदस्यों को लाभ पहुंचाया जाता है और उसे अलग किये गये अंश का उपभाग मात्र अनुसूचित जाति के सदस्यों के कल्याण पर ही किया जाता है।

इसके लिए सामान्य विकास प्रक्षेत्रों में वैसी योजनाओं का चयन किया जाता है, जो अनुसूचित जातियों के लिए लाभकारी हों। अनुसूचित जाति उप योजना का लक्ष्य अनुसूचित जातियों के परिवारों को हर प्रकार से कुशल एवं दक्ष बनाना है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके और वे गरीबी रेखा से उपर उठ सकें। अनुसूचित जाति उप योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य के विकास से संबंधित विभागों द्वारा राशि कर्णांकित की जाती है और उनके द्वारा ही अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विशेष अंगीभूत योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात में राज्य योजना से राशि कर्णांकित करने का प्रावधान है।

- ii. **अनुसूचित जनजाति के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता :** इसके लिए सामान्य विकास प्रक्षेत्रों में ऐसी ही योजनाओं का चयन किया जाता है, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए लाभकारी हों। अनुसूचित जनजाति उप योजना का लक्ष्य अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को हर प्रकार से कुशल एवं दक्ष बनाना है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके और वे गरीबी रेखा से उपर उठ सकें। राज्य स्कीम/केन्द्रीय स्कीम के प्रत्येक प्रक्षेत्र हेतु जो भी भौतिक लक्ष्य निर्धारित है, उसका एक निर्धारित अंश जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए कर्णांकित किया जाता है।

17. वैधिक सहायता :-

अनुसूचित जातियों को अंतरित जमीन की वापसी, दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व संबंधी मुकदमे लड़ने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उसी प्रकार दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व मुकदमों में फँसे अनुसूचित जाति के सदस्यों को भी गैर-अनुसूचित जाति के सदस्य से मुकदमा लड़ने हेतु वैधिक सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2021-22 में इस मद में अनुसूचित जाति के लिए ₹1.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

18. अनु0 जाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान :-

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष विशेष केन्द्रीय सहायता मद में राशि विमुक्त की जाती है।

वर्ष 2021-22 में राज्य योजना से ₹50.00 लाख अतिरिक्त 5 प्रतिशत अनुदान एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत ₹109.56 करोड़ की राशि का बजट प्रावधान है।

19. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 :-

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन हेतु अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति की अस्पृश्यता निवारण कार्य हेतु राशि स्वीकृत की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में गैरयोजना में ₹0.10 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

20. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 :-

इस अधिनियम का उद्देश्य गैर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों को रोकना है तथा अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को समाज में सुरक्षा, पुनर्वास हेतु राहत राशि एवं न्यायिक सहायता प्रदान करना है। यह एक केन्द्र-प्रायोजित योजना है, जिसका व्यय 50:50 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। साथ ही स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से भी इस अधिनियम एवं नियम के तहत राहत राशि हेतु बजट प्रावधान किया जाता है। इस अधिनियम के तहत त्वरित रूप से राहत प्रदान करने के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-3388 दिनांक-09.11.2019 द्वारा जिला स्तर पर अग्रिम निधि के रूप में राशि की निकासी कर राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में रखने की स्वीकृति दी गई है।

अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलों में सजा देने के दर में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित कदम उठाये गये हैं :-

- (i) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग द्वारा सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस अधिनियम के तहत दर्ज काण्डों के शीघ्र निष्पादन के लिए निर्देश दिए गये हैं साथ ही पुलिस महानिदेशक द्वारा भी सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस अधिनियम के तहत दर्ज काण्डों के शीघ्र निष्पादन के लिए निर्देश दिए गये हैं।

- (ii) राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष थानों की स्थापना की गयी है।
- (iii) दर्ज मामलों के निष्पादन के लिए राज्य के सभी जिलों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय, विशेष न्यायालय के रूप में कार्यरत है। 5 जिलों यथा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं भागलपुर में अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive special Court) कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त नालन्दा (बिहारशरीफ), रोहतास (सासाराम), नवादा, सारण (छपरा), पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), वैशाली (हाजीपुर), दरभंगा तथा समस्तीपुर जिलों में 9 अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive special Court) की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।
- (iv) विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा विधि विभाग द्वारा नियमित रूप से की जा रही है साथ ही महानिदेशक, अभियोजन एवं जिला पदाधिकारी द्वारा त्रैमासिक समीक्षा की जा रही है।
- (v) विधि विभाग द्वारा इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना के स्तर पर भी विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गई है।
- (vi) अत्याचार के मामलों में राहत अनुदान की राशि संशोधित नियम, 2016 के आलोक में प्रदान की जा रही है।
- (vii) नियम-11 के तहत मामलों के सुनवाई के दौरान पीड़ित / पीड़िता / आश्रित को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता का भुगतान भी किया जा रहा है।
- (viii) आम जनता में जागरूकता फैलाने और व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से समय-समय पर दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तथा विशिष्ट स्थानों पर होर्डिंग लगाये जाते हैं।
- (ix) अपर समाहर्ता, पुलिस पदाधिकारियों, विशेष लोक अभियोजकों एवं जिला कल्याण पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण / कार्यशाला का आयोजन किया जाता है।
- (x) नियम 15(1) के उपबन्धों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए योजना हेतु संकल्प सं0-1825 दिनांक-19.09.2020 निर्गत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना में ₹2687.04 लाख की राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से ₹1103.00 लाख की राशि की स्वीकृति दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में ₹1003.00 लाख एवं केन्द्र प्रायोजित योजना में ₹3000.00 लाख की राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) का बजट प्रावधान है।

21. अनु0 जनजाति के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता :

इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राशि उपलब्ध करायी जाती है। इसमें बी0पी0एल0 के नीचे के अनु0 जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक विकास हेतु परिसम्पत्ति उपलब्ध कराई जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस मद में कुल ₹1500.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

22. संविधान की धारा 275 (1) :-

इस योजना के तहत जनजाति क्षेत्र की आधारभूत संरचना विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के तहत राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, कैमूर, रोहतास, जमुई, कटिहार एवं पूर्णियाँ के परिसर में 100 आसन के एक-एक छात्रावास की स्वीकृति दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस मद में कुल ₹1500.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

23. वनबन्धु कल्याण योजना (VKY) :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस मद में कुल ₹10.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

24. थरुहट क्षेत्र विकास :-

प0 चम्पारण जिला के थारू एवं अन्य अनु0 जनजाति के विकास हेतु समेकित थरुहट विकास अभिकरण की स्थापना सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिला में की गई है। थरुहट क्षेत्र के विकास हेतु इस अभिकरण के माध्यम से योजनाओं का संचालन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा समेकित थरुहट विकास अभिकरण से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभिन्न योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है।

अभिकरण को पश्चिम चम्पारण के जनजाति (थारू जनजाति सहित) बाहुल्य प्रखंडों यथा बगहा-2, रामनगर, गौनाहा एवं मैनाटाड़ में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विगत वर्षों में ₹9745.39 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। उक्त राशि के तहत ली गई 259 योजनाओं में से 250 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। इस अभिकरण के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं यथा-पुस्तकालय भवनों का निर्माण, कम्प्यूटर प्रयोगशाला भवन निर्माण, सिंचाई की योजनाओं आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है।



थरुहट क्षेत्र विकास, प० चम्पारण अन्तर्गत सिलाई-कटाई प्रशिक्षण



थरुहट क्षेत्र विकास, प० चम्पारण अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस मद में कुल ₹200.00 लाख की राशि बजट प्रावधानित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस मद में कुल ₹3562.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

25. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास :-

केन्द्रीय योजनागत योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड, वूडेन कौंट, मच्छरदानी, बकरीपालन एवं बांस खेती के लिए ₹295.91 लाख की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास हेतु 18 सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड निर्माण हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रति इकाई 0.975 लाख की दर से कुल 18 इकाई सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग से निर्माण कराने हेतु कुल ₹130.00 लाख की राशि आवंटित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस मद में कुल ₹400.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

26. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना :-

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत गया जिले के 225 ग्रामों की स्वीकृति दी गई थी। योजना का कार्यान्वयन पूर्ण किया जा चुका है।

द्वितीय चरण में राज्य के 38 जिलों के अंतर्गत कुल 616 ग्रामों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत योजना कार्यान्वयन हेतु कुल ₹65.19 करोड़ की राशि उपलब्ध है। संबंधित जिलों के अंतर्गत चयनित ग्रामों में योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्यांश मद में ₹5.00 लाख एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत ₹4000.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्यांश मद में ₹5.00 लाख एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत ₹4000.00 लाख की राशि का बजट प्रावधानित है।

27. अम्बेदकर फाउण्डेशन :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस मद में ₹50.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

विभाग के अन्तर्गत गठित आयोग

28. राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार :-

- ◆ गठन :- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सम्प्रति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या- 5614, दिनांक- 18.11.2009
- ◆ गठन का उद्देश्य :- अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं अभिवृद्धि तथा उनके रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण।
- ◆ आयोग की संरचना:-

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1	अध्यक्ष	01
2	उपाध्यक्ष	01
3	सदस्य	03

आयोग के सदस्यों की टीम द्वारा विभिन्न जिलों का दौरा कर उपर्युक्त सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं अन्वेषण कर उन्हें लाभान्वित कराने का प्रयास किया जाता रहा है। साथ ही जिला स्तर पर जिला प्रशासन के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति के समस्याओं का निराकरण हेतु निदेश दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस मद में ₹229.36 लाख का बजट प्रावधानित है।

29. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग :-

एक कल्याणकारी सरकार के रूप में राज्य सरकार का दायित्व है कि वह समतामूलक समाज की स्थापना हेतु समाज के सभी अत्यंत कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु कल्याणकारी कार्य करे तथा समाज में सदियों से उपेक्षित और शोषित वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करे। इस परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं अभिवृद्धि तथा उनके रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करने के लिए राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है।

- ◆ आयोग की संरचना:-

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1	अध्यक्ष	01
2	उपाध्यक्ष	01
3	सदस्य	03

- ◆ आयोग की उपलब्धियाँ :-

आयोग गठन के उपरान्त मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति परिवार को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषकर सम्पूर्ण बिहार के जिले में अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचार यथा- हत्या, उत्पीड़न, भूमि विवाद, नशामुक्ति का अभियान, बेघरों को वास हेतु भूमि, ग्राम टोला को मुख्य मार्ग से जोड़ने, अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी सेवा में नियुक्ति, पदोन्नति में संविधान प्रदत्त शक्ति के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था, भूमिहीन एवं आवासहीन व्यक्ति को भूमि की व्यवस्था, अशिक्षितों को शिक्षित

करने, स्वास्थ्य के लिए उन्हें मिलने वाली सुविधा, मजदूरी हेतु मनरेगा के तहत रोजगार में पारदर्शिता लाने की दिशा में कार्य किया जाता है।

आयोग के सदस्यों की टीम द्वारा विभिन्न जिलों का दौरा कर उपर्युक्त सभी सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं अन्वेषण कर उन्हें लाभान्वित कराने का प्रयास किया जाता रहा है। साथ ही साथ जिला स्तर पर जिला प्रशासन के साथ बैठक कर अनुसूचित जनजाति के समस्याओं का निराकरण हेतु निदेश दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस मद में राज्य योजना से कुल ₹51.14 लाख का बजट प्रावधान है।

30. बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0

वर्ष 1978 में बिहार एवं उड़ीसा सहकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों के चतुर्दिक विकास के उद्देश्य से इस निगम की स्थापना की गई है। निगम का कार्य क्षेत्र पूरे राज्य में है और निगम के क्षेत्रीय कार्यालय 36 जिलों में अवस्थित हैं।

इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के सदस्यों को आय अर्जित करने वाली परियोजनाओं हेतु रियायती दर पर ऋण एवं अनुदान प्रदान करना एवं रोजगारोन्मुखी ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कराना है।

योजना का कार्यान्वयन : निगम द्वारा संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा गठित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुमोदन से किया जाता है तथा जिला स्तर पर निधि का संचालन जिला कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है।

निगम द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है :-

अनुदान योजना : इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बैंकों के माध्यम से आर्थिक लाभदायक योजनाओं हेतु ऋण दिया जाता है। योजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹10,000 /-रु0 प्रति व्यक्ति अनुदान निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

वर्तमान स्थिति : वित्तीय वर्ष 2018 (31.03.2019) तक बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित योजना के तहत कुल 2031 व्यक्तियों के लिए कुल ₹710.85 लाख रुपये का ऋण एवं अनुदान का वितरण किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्रमांक	योजना का नाम	लाभार्थी की संख्या	बैंक ऋण	अनुदान	कुल राशि (राशि लाख में)
1	अनुदान योजना	2031	507.75	203.10	710.85
	कुल :-	2031	507.75	203.10	710.85

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य स्कीम से हिस्सा-पूँजी मद में ₹400.00 लाख एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में ₹644.35 लाख का बजट उपबंध है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य स्कीम से हिस्सा-पूँजी मद में ₹400.00 लाख एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में ₹644.35 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

31. बिहार महादलित विकास मिशन :-

बिहार महादलित विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत्त इकाई है, जो "संस्थाओं के निबंधन एक्ट 1860" के तहत गठित है।

बिहार महादलित विकास मिशन के अन्तर्गत संचालित मुख्य योजनाएँ :-

(i) **विकास मित्र** :- महादलित समुदाय के विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक पंचायत (ग्रामीण) एवं वार्ड/वार्ड समूह (शहरी) में बहुलता वाले महादलित जाति के एक-एक विकास मित्र का चयन किया जाता है। विकास मित्रों के चयन में 50 प्रतिशत रिक्तियाँ महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। विकास मित्र सरकार एवं महादलित परिवारों के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने में एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। विकास मित्रों हेतु कुल-9875 पद सृजित हैं। वर्तमान में 9466 विकास मित्र कार्यरत हैं।

विकास मित्रों को मानदेय के रूप में प्रत्येक माह ₹12,500/- की राशि प्रदान की जाती है। विभागीय संकल्प सं0-1826 दिनांक-19.09.2020 द्वारा बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए 01 अप्रैल, 2021 से विकास मित्रों का मानदेय ₹12,500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹13,700/- प्रतिमाह एवं कर्मचारी भविष्य निधि खाता में राज्य सरकार का अंशदान ₹1,625/- से बढ़ाकर ₹1,781/- प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी गई है। विकास मित्रों को मानदेय के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, यात्रा भत्ता, कर्मचारी भविष्य निधि इत्यादि की सुविधाएँ दी जा रही हैं। योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करने हेतु सभी विकास मित्रों को CUG सिम के साथ Android मोबाइल उपलब्ध कराया गया है।

(ii) **विकास रजिस्टर** :- महादलित परिवारों के विभिन्न योजनाओं के तहत आच्छादन की सूचना बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा विकास मित्रों के माध्यम से एकत्रित कर उसे पोर्टल के माध्यम से डाटा बेस (विकास रजिस्टर) तैयार किया जा रहा है। इससे यह ज्ञात हो सकेगा कि महादलित परिवारों को सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है। वर्तमान में विकास मित्रों के द्वारा 36,04,514 परिवारों को विकास रजिस्टर में अंकित किया जा चुका है।

(iii) **सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड** :- 'सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड' का निर्माण महादलितों के सामाजिक कार्यों के निर्वहन के साथ-साथ बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद की गतिविधियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक कुल लक्ष्य 4898 के विरुद्ध अबतक 3845 इकाई सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण विभिन्न जिलों में पूर्ण हो चुका है एवं 1053 स्थान पर निर्माण प्रगति में है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल लक्ष्य-341 के विरुद्ध 228 स्थल चयन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन के आलोक में किया जा रहा है। पाईल फाउंडेशनयुक्त सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का प्राक्कलित राशि ₹26,14,300/- एवं ओपेन फाउंडेशनयुक्त ₹25,71,500/- मात्र निर्धारित है। मानक प्राक्कलन में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड के साथ-साथ एक कमरा, शौचालय, चापाकल, चाहरदिवारी का भी प्रावधान किया गया है।



ग्राम-बिटौरा, पंचायत-चिलबिल्ली, प्रखण्ड-फुलवारी शरीफ, पटना



डी. एन. शर्मा रोड, बिरनचक, फरीदपुर, पटना

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड

(iv) **दशरथ मांडी कौशल विकास योजना** :- महादलित परिवारों के सर्वांगीण विकास हेतु उनके बीच रोजगारोन्मुखी कौशल और तकनीकी दक्षता का विकास बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उक्त योजना के तहत विभिन्न ट्रेड में कौशल विकास प्रशिक्षण महादलितों/दलितों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

यह योजना श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आलोक में क्रियान्वित की जा रही है। प्रशिक्षणदाता एजेंसी में से MSME, कोलकाता, भारत सरकार, एजेंसी भी शामिल है। MSME, कोलकाता के द्वारा अबतक कुल 9 बैच कोलकाता में प्रारंभ किए गए थे, जिसमें 7 बैच समाप्त हो चुके हैं। शेष 2 बैच प्रक्रिया में है। NIELIT, बिहटा से कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया है।

(v) **विशेष विद्यालय-सह-छात्रावास योजना** :- योजना का कार्यान्वयन एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था "नारी गुंजन" द्वारा पटना एवं गया जिलों में किया जा रहा है। विशेष विद्यालय-सह-छात्रावास योजना के तहत पटना में 150 महादलित छात्राओं एवं गया में 100 महादलित छात्राओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ गैर पारंपरिक शिक्षा भी दी जा रही है। विद्यालय का संचालन पद्मश्री सुश्री सुधा वर्गीज द्वारा किया जा रहा है।

(vi) **सामाजिक जागरूकता अभियान** :- बिहार महादलित विकास मिशन एवं महिला विकास निगम के सहयोग से सभी 9466 विकास मित्र क्षेत्र में दहेज एवं बाल विवाह के संबंध में समुदाय में जागरूकता फैलाने हेतु प्रत्येक विकास मित्र के क्षेत्र में 3 किशोरी एवं 1 किशोर समूह अर्थात् कुल 4 किशोर/किशोरी समूह का गठन किया जाना है। इस कार्य हेतु महिला विकास निगम के सहयोग से प्रशिक्षण दिया गया है। बिहार महादलित विकास मिशन के द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसपर सीधे विकास मित्र द्वारा समूह गठन के संबंध में प्रतिवेदन अपलोड किए जा रहे हैं। अबतक कुल 32077 किशोर/किशोरी समूहों का गठन किया गया है।

(viii) **सहायता (कॉल सेंटर)** :- "सहायता" बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा स्थापित पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉल सेंटर है। इस कॉल सेंटर की स्थापना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1995 के क्रियान्वयन के क्रम में प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं उनके निराकरण के अनुश्रवण हेतु की गई है। इसका टॉल फ्री नं०-18003456345 है।

(ix) **मैनुअल स्कैवेंजर** :- "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013" 6 दिसम्बर 2013 से प्रभावी है। उक्त अधिनियम की धारा-5 के अनुसार किसी प्रकार का मैनुअल स्कैवेंजिंग निषिद्ध है। बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा-31(1) के तहत निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए संस्था के रूप में नामित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस मद में कुल ₹30500.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस मद में कुल ₹32700.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान है।

2011 जनगणना के अनुसार अनु० जाति एवं अनु० जनजाति की जनसंख्या

Sl. No.	District	Total Population	S.C. Population	S.T. Population	% SC Population	% ST Population
1	PATNA	5838465	920918	9069	15.77	0.16
2	NALANDA	2877653	607672	1442	21.12	0.05
3	ROHTAS	2959918	549546	31650	18.57	1.07
4	BHABHUA	1626384	369088	57981	22.69	3.57
5	BHOJPUR	2728407	425402	13977	15.59	0.51
6	BUXAR	1706352	251737	26824	14.75	1.57
7	GAYA	4391418	1334351	3098	30.39	0.07
8	JEHANABAD	1125313	222974	1285	19.81	0.11
9	ARWAL	700843	141314	590	20.16	0.08
10	NAWADAH	2219146	565112	2045	25.47	0.09
11	AURANGABAD	2540073	612064	1033	24.10	0.04
12	SARAN	3951862	474066	36786	12.00	0.93
13	SIWAN	3330464	386685	87000	11.61	2.61
14	GOPALGANJ	2562012	320064	60807	12.49	2.37
15	MUZAFFARPUR	4801062	751975	5979	15.66	0.12
16	SITAMARHI	3423574	405714	2989	11.85	0.09
17	SHEOHAR	656246	96655	318	14.73	0.05
18	W. CHAMPARAN	3935042	553944	250046	14.08	6.35
19	E. CHAMPARAN	5099371	649726	12461	12.74	0.24
20	VAISHALI	3495021	738031	2274	21.12	0.07
21	DARBHANGA	3937385	615688	2772	15.64	0.07
22	MADHUBANI	4487379	587158	3990	13.08	0.09
23	SAMASTIPUR	4261566	803128	1884	18.85	0.04
24	SAHARSA	1900661	317249	6009	16.69	0.32
25	SUPAUL	2229076	354249	10168	15.89	0.46
26	MADHEPURA	2001762	346275	12532	17.30	0.63
27	PURNEA	3264619	390991	139490	11.98	4.27
28	ARARIA	2811569	382654	38848	13.61	1.38
29	KISHANGANJ	1690400	113118	64224	6.69	3.80
30	KATI HAR	3071029	263100	179971	8.57	5.86
31	BHAGALPUR	3037766	318569	67180	10.49	2.21
32	BANKA	2034763	247858	90432	12.18	4.44
33	MUNGER	1367765	183846	21404	13.44	1.56
34	LAKHISARAI	1000912	153209	8333	15.31	0.83
35	SHEIKHPURA	636342	131115	617	20.60	0.10
36	JAMUI	1760405	302649	78793	17.19	4.48
37	KHAGARIA	1666886	247161	675	14.83	0.04
38	BEGUSARAI	2970541	432270	1597	14.55	0.05
TOTAL		104099452	16567325	1336573	15.91	1.28

पत्र संख्या-11/आ. 2-आ. नि. -08/2006का0 225

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

पुष्क,

सर युग प्रसाद,
सरकार के उच्च सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव
अध्यक्ष लोक उद्यम/कार्पो,
सभी प्रमोडलीय आयुक्त
सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति
सभी जिला पदाधिकारी
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
परीक्षा नियंत्रक,
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना ।
निदेशक, महाप्रियता, बिहार का कार्यालय
उच्च न्यायालय, पटना ।

पटना-15, दिनांक 16 जनवरी, 2007.

विषय: - उत्तरवर्ती बिहार हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की
समेकित सूची का तम्बूषण ।

महोदय,

निदेशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत का राजपत्र,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संगोपन) अधिनियम-1976 (नं०-108/1976)
दिनांक 18.9.1976 द्वारा बिहार हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची
प्रकाशित की गई । भारत का राजपत्र, बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 (नं०-30/2000)
दिनांक 25.8.2000 द्वारा उत्तरवर्ती बिहार हेतु उक्त सूची को संशोधित किया गया ।
पुनः भारत का राजपत्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संगोपन) अधिनियम-
2002 (नं०-10/2003), दिनांक 7.1.2003 द्वारा उक्त सूची को संशोधित किया गया ।
उपयुक्त तीनों अधिनियमों के अलावे उत्तरवर्ती बिहार हेतु अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति की समेकित सूची प्रसारित की जा रही है ।

2. अनुरोध है कि इसे अधिनियम कार्यालयों/पदाधिकारियों के बीच परिधारित
कर दिया जाय ताकि संबंधित स्थापनाओं को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई अड़िचा
न हो । परन्तु किसी जाति विशेष के संबंध में तटस्थ होने पर मूल अधिनियम की प्रविष्टि
को तटस्थ किया जाय ।

अनु०-स्थापित ।

विशेषाज्ञापन,
15/1/07
सरकार के उच्च सचिव ।

List of Scheduled Caste for Bihar

Serial No.	Name of Caste	Notified vide the scheduled castes and scheduled tribes orders(Amendment)Act---
(1)	Bantar	Act-1976 (No. 108/1976)
(2)	Bauri	Act-1976 (No. 108/1976)
(3)	Bhogta	Act-1976 (No. 108/1976)
(4)	Bhuiya	Act-1976 (No. 108/1976)
(5)	Deleted [Bhumij(excluding North Chotanagpur and South Chotanagpur divisions and Santal Parganas district)]	The Bihar Re-organisation Act-2000 (No. 30/2000)
(6)	Chamar, Mochi	Act-1976 (No. 108/1976)
(7)	Chaupal	Act-1976 (No. 108/1976)
(8)	Dabgar	Act-1976 (No. 108/1976)
(9)	Dhobi	Act-1976 (No. 108/1976)
(10)	Dom, Dhangad	Act-1976 (No. 108/1976)
(11)	Dusadh, Dhari, Dharhi	Act-1976 (No. 108/1976)
(12)	Ghasi	Act-1976 (No. 108/1976)
(13)	Halalkhor	Act-1976 (No. 108/1976)
(14)	Hari, Mehtar, Bhangsi	Act-1976 (No. 108/1976)
(15)	Kanjar	Act-1976 (No. 108/1976)
(16)	Kurariar	Act-1976 (No. 108/1976)
(17)	Lalbegi	Act-1976 (No. 108/1976)
(18)	Musahar	Act-1976 (No. 108/1976)
(19)	Nat	Act-1976 (No. 108/1976)
(20)	Pan, Sawasi	Act-1976 (No. 108/1976)
(21)	Pasi	Act-1976 (No. 108/1976)
(22)	Rajwar	Act-1976 (No. 108/1976)
(23)	Turi	Act-1976 (No. 108/1976)

List of Scheduled Tribe for Bihar

Serial No.	Name of Caste	Notified vide the scheduled castes and scheduled tribes orders (Amendment) Act--
(1)	Asur, Agaria	Act-1976 (No. 108/1976) Act-2002 (No. 10/2003)
(2)	Baiga	Act-1976 (No. 108/1976)
(3)	Banjara	Act-1976 (No. 108/1976)
(4)	Bathudi	Act-1976 (No. 108/1976)
(5)	Bedia	Act-1976 (No. 108/1976)
(6)	Deleted [Bhumij (In North Chotanagpur and South Chotanagpur divisions and Santal Parganas districts)]	The Bihar Re-organisation Act-2000 (No. 30/2000)
(7)	Binjhia	Act-1976 (No. 108/1976)
(8)	Birhor	Act-1976 (No. 108/1976)
(9)	Birjia	Act-1976 (No. 108/1976)
(10)	Chero	Act-1976 (No. 108/1976)
(11)	Chik Baraik	Act-1976 (No. 108/1976)
(12)	Gond	Act-1976 (No. 108/1976)
(13)	Gorait	Act-1976 (No. 108/1976)
(14)	Ho	Act-1976 (No. 108/1976)
(15)	Karmali	Act-1976 (No. 108/1976)
(16)	Kharia, Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia	Act-1976 (No. 108/1976) Act-2002 (No. 10/2003) Act-2002 (No. 10/2003) Act-2002 (No. 10/2003)
(17)	Kharwar	Act-1976 (No. 108/1976)
(18)	Khond	Act-1976 (No. 108/1976)
(19)	Kisan, Nagesia	Act-1976 (No. 108/1976) Act-2002 (No. 10/2003)
(20)	Kora, Mudi-kora	Act-1976 (No. 108/1976) Act-2002 (No. 10/2003)
(21)	Korwa	Act-1976 (No. 108/1976)
(22)	Lohara, Lohra	Act-1976 (No. 108/1976)
(23)	Mahii	Act-1976 (No. 108/1976)
(24)	Mal Paharia, Kumarbhag Paharia	Act-1976 (No. 108/1976) Act-2002 (No. 10/2003)
(25)	Munda, Patar	Act-1976 (No. 108/1976) Act-2002 (No. 10/2003)
(26)	Oraon, Dhangar (Oraon)	Act-1976 (No. 108/1976) Act-2002 (No. 10/2003)
(27)	Parhaiya	Act-1976 (No. 108/1976)
(28)	Santal	Act-1976 (No. 108/1976)
(29)	Sauria Paharia	Act-1976 (No. 108/1976)
(30)	Savar	Act-1976 (No. 108/1976)
(31)	Kawar	Act-2002 (No. 10/2003)
(32)	Kol	Act-2002 (No. 10/2003)
(33)	Tharu	Act-2002 (No. 10/2003)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय :- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा बिहार राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में समावेशन के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पुनर्गठन के पश्चात् उत्तरवर्ती बिहार हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-225 दिनांक-16.01.2007 द्वारा अंग्रेजी भाषा में परिचारित की गई है। पुनः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-696 दिनांक-14.01.2018 के द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची का हिन्दी रूपान्तरण सहित परिचारित किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-12016/06/2020-एस सी डी (आर एल सैल) दिनांक-28.08.2020 द्वारा संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 दिनांक-17.12.2002 के द्वारा बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची की प्रविष्टियों में कतिपय जातियों का समावेशन किया गया है। समावेशित जातियों की सूची अंग्रेजी एवं हिन्दी पाठ के साथ लोकहित में इस पत्र के साथ संलग्न कर परिचारित किया जा रहा है। विभागीय परिपत्र संख्या-225 दिनांक-16.01.2007 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(जय शंकर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।


झापांक-11/आ०नी०-II-02/2019 सा०प्र०...11/2/21...पटना-15, दिनांक-21/1/2021

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार पटना/सभी विश्वविद्यालय/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/ सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्न सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।


27/1/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-225 दिनांक-16.02.2007 के साथ संलग्न अनुसूचित जाति की सूची की प्रविष्टि में समावेशन :-

1. प्रविष्टि-8 :- चमार, मोची, चमार-रबिदास, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास, चर्मरकार
Chamar, Mochi, Chamar-Rabidas, Chamar-Ravidas,
Chamar-Rohidas, Charmarkar
2. प्रविष्टि-9 :- धोबी, रजक
Dhobi, Rajak
3. प्रविष्टि-10 :-डोम, धनगड, बांसफोड़, धारीकर, धरकर, डोमरा
Dom, Dhangad, Bansphor, Dharikar, Dharkar, Domra
4. प्रविष्टि-20 :-पान, सवासी, पानर
Pan, Sawasi, Panr


27/1/2021



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 14, 2016/चैत्र 25, 1938

No. 268]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 14, 2016/ CHAITRA 25, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

बधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 424(अ).—केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ख) "आश्रित" से पीड़ित के पति या पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहन अभिप्रेत हैं जो आलंब और पोषण के लिए ऐसे पीड़ित पर पूर्णतया या मुख्यतया आश्रित हैं;'

3. उक्त नियम के नियम 4 में,—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ताओं की ऐसी संख्या का पैनल प्रत्येक जिले के लिए तैयार करेगी जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसाय में हों जैसा वह विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों को संचालित करने के लिए आवश्यक समझे।

(1अ) राज्य सरकार निदेशक अभियोजन या अभियोजन भारसाधक के परामर्श से लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की ऐसी संख्या का पैनल भी विनिर्दिष्ट करेगी जो वह यथास्थिति विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए आवश्यक समझे।

1847 GI/2016

(1)

उपाबंध - I

[नियम 12(4)]

राहत राशि के लिए मापदंड

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना [(अधिनियम की धारा 3(1)(क)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए। पीड़ित व्यक्ति को संदाय निम्नानुसार किया जाए:
2.	मल-मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]	(i) क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
3.	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]	(ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत;
4.	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना [(अधिनियम की धारा 3(1)(घ)]	(iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1),(4)और (5) के लिए 25 प्रतिशत।
5.	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूँछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ड.)]	
6.	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(च)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्च पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा।
7.	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(च)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
8.	बेगार या अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम [अधिनियम की धारा 3(1)(ज)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:
9.	मानव या पशुशवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(झ)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।
10.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ञ)]	(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
11.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने [(अधिनियम की धारा 3(1)(ट)]	

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
12.	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ठ)]	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
13.	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभिन्नस्त करना या उनमें व्यवधान डालना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ड)]	
14.	मतदान के पश्चात् हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण [(अधिनियम की धारा 3(1)(ढ)]	
15.	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ण)]	
16.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्रवाइयां संस्थित करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(त)]	
17.	किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना [(अधिनियम की धारा 3(1)(थ)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय के आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत
18.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास [(अधिनियम की धारा 3(1)(द)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
19.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौज करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ध)]	
20.	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(न)]	
21.	शत्रुता, घृणा से वैमन्सय की भावनाओं में अभिवृद्धि करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(प)]	
22.	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति को शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधना से अनादर करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(फ)]	
23.	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ब)]	

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
24.	भारतीय दंड संहिता की धारा 326ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक)]	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य ह्रास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रुपए; (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रुपए; (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रुपए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निबंधनानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।
25.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354(1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या आपराधिक बल का प्रयोग [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय के आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
26.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354(1860 का 45) लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़ने के लिए दंड [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
27.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ख(1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
28.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ग(1860 का 45) दृश्यरतिकता [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए
29.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354घ(1860 का 45) पीछा करना [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
30.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ख(1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
31.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ग(1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32.	भारतीय दंड संहिता की धारा 509(1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
33.	जल को दूषित या गंदा करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(भ)]	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति के सामुदायिक आस्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34.	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना [(अधिनियम की धारा 3(1)(म)]	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रुपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय के आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
35.	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(य)]	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय के आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
36.	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बांधा डालना या निवारित करना- (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते के उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रुपये की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: [(अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)]	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को बाधना किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते के उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रुपये की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)]	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना। [(अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)]	(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना; या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग। [(अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ई)]	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना; या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं के उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। [(अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ)]	(उ) कोई व्यवसाय करने या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग के उपयोग करने की या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
37.	डायन होने या जादू-टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना। [(अधिनियम की धारा 3(1)(यख)]	पीड़ित को एक लाख रुपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
38.	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना [(अधिनियम की धारा 3(1)(यग)]	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39.	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। [(अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii)]	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
40.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। [(अधिनियम की धारा 3(2))]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को चार लाख रुपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
41.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्ट किया गया है। [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(va)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रुपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
42.	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। [(अधिनियम की धारा 3(2)(vii)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
43.	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-18/97-एनआई तारीख 1 जून, 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए अंतर्विष्ट विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।	

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
	(क) शत-प्रतिशत अक्षमता	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्ठी के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;
	(ख) जहां अक्षमता-शत-प्रतिशत से कम है किंतु पचास प्रतिशत से अधिक है।	पीड़ित को चार लाख और पच्चास हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्ठी के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;
	(ग) जहां अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को दो लाख और पच्चास हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्ठी के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;
44.	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375)	पीड़ित को पांच लाख रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्ठी के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376घ)	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्ठी के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
45.	हत्या या मृत्यु	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर।
46.	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष।	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :- (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रुपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महंगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुंब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध; (ii) पीड़ित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रय स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिला किया जा सकेगा; (iii) बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबंध
47.	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना।	ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 316(अ) तारीख 31 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि 774(अ) तारीख 5 नवंबर, 2014 द्वारा किया गया था।

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-३ / निदे०पी०ओ०ए०(Revolving Fund)०६-१५ / २०१९-

अधिसूचना

3388
07/11/2019

राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-१९८९ एवं संशोधन अधिनियम-२०१५ प्रवृत्त है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-१९९५ एवं संशोधन नियम-२०१६ के नियम-१२ के आलोक में तुरन्त अनुतोष प्रदान किया जाना प्रावधानित है।


२ राज्य स्तरीय समीक्षा एवं जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों से यह परिलक्षित हो रहा है कि निकासी एवं वितरण की वर्तमान प्रक्रिया में त्वरित रूप से राहत वितरण के पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अतः सम्यक् विचारोपरांत त्वरित रूप से राहत प्रदान करने हेतु निम्नांकित व्यवस्था की जाती है:-

- (i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अत्याचार पीड़ितों को दिए जाने वाले राहत अनुदान के भुगतान हेतु जिलावार राशि कर्षांकित करते हुए माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदन से अग्रिम निकासी की अनुमति हेतु स्वीकृत्यादेश सभी जिला पदाधिकारियों के पक्ष में निर्गत करेगा।
- (ii) जिला स्तर पर अग्रिम निधि के रूप में राशि निकासी कर जिला पदाधिकारी के पदनाम से खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में रखी जाएगी।
- (iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-१९८९ एवं संशोधन अधिनियम-२०१५ के तहत जिला में अत्याचार से होने वाली काण्डों में पीड़ितों/आश्रितों को जिला स्तर पर स्थित अग्रिम निधि की राशि से सगत नियम-१९९५ (यथा संशोधित) के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा अनुतोष का भुगतान किया जाएगा।
- (iv) जिला पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार बिहार को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (v) जिला पदाधिकारी के पदनाम से खोले गये खाते का कार्यालय रोकड़ पंजी से नियमित मिलान किया जायेगा। साथ ही साथ जिला पदाधिकारी व्ययित राशि का ब्योरा विभाग को प्रेषित करेंगे। समीक्षोपरांत विभाग पुनः आवंटन के माध्यम से संबंधित जिला की आवंटन सीमा को पूरित कर देगा।
- (vi) इस संकथ में बिहार विधीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


३ प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

४ यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(प्रेम सिंह मैन्ना)
सरकार के सचिव।


झापांक-3/निदे0पी0अ00ए0(R revolving Fund)05-15/2019- 3388 पटना, दिनांक- 09/11/2019
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव। 11.19

झापांक-3/निदे0पी0अ00ए0(R revolving Fund)05-15/2019- 3388 पटना, दिनांक- 09/11/2019
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, गृह
विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग,
बिहार/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, विधि विभाग, बिहार/सभी प्रमंडलीय
आयुक्त, बिहार/पुलिस महानिरीक्षक कमजोर वर्ग, बिहार/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्याार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव। 11.19

झापांक-3/निदे0पी0अ00ए0(R revolving Fund)05-15/2019- 3388 पटना, दिनांक- 09/11/2019
प्रतिलिपि-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार/सभी
उपविकास आयुक्त, बिहार/सभी प्रमण्डलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण
पदाधिकारी, बिहार को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्याार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव। 11.19

झापांक-3/निदे0पी0अ00ए0(R revolving Fund)05-15/2019- 3388 पटना, दिनांक- 09/11/2019
प्रतिलिपि- आप्त सचिव, माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार को सूचनाार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव। 11.19.



राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, फारबिसगंज, अररिया



बाबू जगजीवन राम कल्याण छात्रावास, राजवाड़ा, मुजफ्फरपुर



“ प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अपने नासमझ और गरीब बंधुओं के हितार्थ कार्य करें. यदि शिक्षित व्यक्ति ही अपने हजारों-लाखों बंधुओं के दुःखों-तकलीफों की तरफ से मुख मोड़ लेगा तो समाज के पतन का मार्ग प्रशस्त करेगा। ”

- बाबा साहेब डॉ. भीम रॉव अम्बेडकर